



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

45AD 379117

सासल लाम्प

५००

८८८

१५०८ नं ३७८ १९६४ के नाम (लाल)

जप निवास  
लालगढ़  
काशीहार तमाचा

01 | 2014 -

01 | Jolly



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 8915:26

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा ३० नो

## ग्रह विलेख ( Instrument of Trust )

यह न्यास विलेख आज दिनांक 25.01.2014 को ग्राम— गोपरीचौंदपुर, पोस्ट— तिघरा, परगना सुरहुत्पुर  
झील- जलालपुर, जिला— अम्बेडकर नगर(उ० प्र०) में वरुणेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० अभिका प्रसाद रिहे  
ग्राम— गोपरीचौंदपुर, पोस्ट— तिघरा, परगना सुरहुत्पुर तहसील— जलालपुर, जिला— अम्बेडकर नगर  
उ० प्र०) द्वारा धोखित किया गया । जिसे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा वयोंकि न्यासकर्ता  
संस्थापक पर रुपया 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र ) की राशि है । जिसे की वह पुरुषार्थ सामाजिक  
राशि हुई दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणाय  
उन्हें हुई इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिष्टा के क्षेत्र में कार्य करेगा वयोंकि यह  
एक समाज सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा ३० न० के नाम जाना दर्जेगा तथा कार्य करेगा , जिसे की आगे संस्कृत  
ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा । वयोंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता नैनेजिंग ट्रस्ट होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का  
कहा जा सकेगा न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि यह विभिन्न श्रोतों से दान  
उठाए रखने आदि भी सम्भिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं सावनों को और दढ़ाड़े ताकि  
विशेष उददेश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा को  
रुप 5000/-रु० पांच हजार ) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ।

जैसे व्यापक वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम-गोपरीचौदहुर, पोस्ट-तिथा, परगना तहसील- जलालपुर, जिला- अच्छेड़कर नगर(३० प्र०) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-गोपरीचौदहुर तहसील परगना सुरहरपुर तहसील- जलालपुर, जिला- अच्छेड़कर नगर (३० प्र०)

कमरा.....2

মুসলিম ৫০১৯/২৭৩

प्र० १२ अक्षर अन्तर्गत लिखने वाला  
श्रीमद्भगवद्गीता का लिखना वाला

भारतीय गोरुन्याचिक

एक सौ रुपये

₹. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

BS 891525

अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित भाल पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता / द्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल द्रस्ट तिघरा अ० न०

(इण्डियन द्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत द्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली -

द्रस्ट के उद्देश्य - द्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी०जी० कालेज, बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी, पुस्तकालयों, वाचनालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एडस उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।

ग्राम विकास अभियान गतिविधियों का संचालन करना।

खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नमी संरक्षण करना।  
उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।

महिला एवं बाल विकास, एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।

प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

कमशः.....3

वर्ष २०१५ अप्रैल

कृषि विभाग

कृषि विभाग

४३

मो० अनबर अम्बारी पढ़ने वाला  
शरीरकृति बुर्जे दत्ता  
उपनिषद्

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 433196

-3-

केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण ,नाबांड ,कपार्ट ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण,नेहरु युवा केन्द्र,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना ।  
आई0आई0टी0,आई0टी0आई,फार्मेसी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन,टेक्निशियन,लैब टेक्निशियन,फिजीयों थीरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।  
समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र,मेडिकल स्टोर,जनरल स्टोर,किराना की दुकान फोटो स्टेट,टाइपिंग,कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।  
पुस्तकालय वाचनालय पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।  
अंधे,गूंगे,बहरे,असहाय लोगों के लिए शिक्षा विकित्सा,आवास,भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना  
विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला,वाणिज्यक वैज्ञानिक,क्रीड़ा  
मार्शल आर्ट,संगीत,तकनीकी,सामाजिक,आधुनिक,भाषा अंगोजी,उर्दू,कम्प्यूटर प्रोफेशनल  
आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।  
विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी  
बनाने हेतु उनके अध्ययन,अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना ।  
पुस्तकों साहित्य,पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन,मुद्रण वितरण आदि  
कर सकना ।  
सांस्कृतिक कार्यक्रम,पर्यावरण कार्यक्रम,एड्स कार्यक्रम,अधिवेशन,गोष्ठियों रामेश्वर  
प्रतियोगिताएं,बैठकें,विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना ।  
सिलाई,कढाई,बुनाई,स्किन प्रिंटिंग औदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।

कमशा.....4

वरुणोंकु डाटा परियो

प्रकाशन  
कृति वाचन  
प्राप्ति वाचन

4

गोपनीय अन्वर अस्तारी पढ़ने वाला.....  
शर्मिला अस्तारी पढ़ने वाला.....  
उपनिषद वाक.....  
8  
Q

आरबीय रौप्याचिक्र

दस  
रुपये  
₹.10

भारत

TEN  
RUPEES  
RS. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UPAADI

-4-

12AC 033949

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी द्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों में समायोजित कर सकना ।
20. द्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यवित्तणों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार -प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।
23. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
24. इहस के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार -प्रसार कर सकना ।
25. पुस्तक, पुस्तिकार, पत्र, पत्रिकाएं समाचार-पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।
26. द्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुत्त्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
27. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।
28. उपमोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
29. वार्षिक स्थलों का निर्माण व जीर्णधार कर सकना ।
30. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना ।
31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति दिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।

क्रमसंख्या.....5

वर्षपाठ वर्षावधि

मौलिक भाषावार अन्तरी पढ़ने वाला.....  
शर्तसुन्मति ग्रहने वाला.....  
उपनिषद्वाद्ध.....  
6

भारतीय गैर-न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 433193

- 5 -

- विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
- ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
- ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्बव अपनी सेवाएं /वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सङ्कर खड़न्जा तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना ।
- ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।
- ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली विलनीक का निर्माण करना ।
- किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना ।
- संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।
- दलित पिछड़ों अल्प संख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।
- धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना ।
- शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।
- संविधान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया-कलापों के बारें में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना ।

कमशा..... 6

वस्त्रोन्दु अताम अंगे

नारतीय गैर न्यायिक



Uttar Pradesh

AP 433195

-6-

उपचा -

में द्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से वरुण्डप्रताप सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास लेड के रविता भी है को इस द्रस्ट का मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है । देश अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष वरुण्डप्रताप सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के हाँजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो वरुण्डप्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके लालिकारी ही इस द्रस्ट के द्रस्टी होंगे ।

मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने लालिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं ।

द्रस्टी / अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी - / हस्तान्तरण

मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे ।

मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष का पद किसी अन्य देश के अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रदान कर सकता है ।

मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि इस द्रस्ट डीड के मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया ।

मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से उम्र हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष पद पर आसिन व्यवित का व्यवितरण नालिकारी ही द्रस्ट का मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष लिखित दर अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें । मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में भी साल करना है कि कार्यरत मैनेजिंग द्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के अंदर की गई वसीयत / इच्छा / व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

कमशः.....7

वरुण्डप्रताप सिंह

मो० जनवर अन्तारी पदम् वाला.....  
शरीरुप दस्त रुप वाला.....  
चर्चनदेव वक्त.....

4

11  
11  
11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 433194

-7-

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।  
कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया , कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

#### बोर्ड आफ ट्रस्टीज -

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है,जिसमें अधिकतम 09 सदस्य होगें ।  
यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।  
यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा ।  
यह कि बोर्ड आफ उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।  
यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष, की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष, के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

कमशः..... 8

दस्तावेज़ द्वारा दिया गया

मौर्य अनवर अलाही पढ़ने वाला

प्रतिष्ठित गुम्बारी पढ़ने वाला

उत्तराधिकारी

*[Handwritten signatures]*

४७२८

# आख्तिरीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH - 8 -

21 AC 811451

- (5) अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ :-
- यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं बाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
  - यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व बहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय / भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (6) कार्य क्षेत्र :-
- ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।
- (7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-
- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्ताक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य-कलापों में किसी भी क्षेत्र पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।
- (8) झाचिव/उप सचिवों की नियुक्ति :-
- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकते हैं।
  - यह कि सचिव/उप सचिवों के बेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निरिचित किये जायेंगे।

कमशः.....9

वर्षपौङ्क फायरिंग

जै. अकबर अन्तरी पड़ने वाला  
शरीरु दूषण सुनने वाला  
उपर्युक्त

इस दस्तावेज  
को संग्रह किया गया।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 811452

-9-

3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/आवश्यकता अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(b) उपाध्यक्ष की कि नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन को कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निरिचत किये जायेंगे।
3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक, प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे:-
- (क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
  - (ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उप सचिवों की नियुक्ति करना।
  - (ग) इस ट्रस्ट डीड मे उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

क्रमांक:.....10

वसंत दुष्ट शर्मा

मेरा अन्वय अन्सारी एकने वाला.....  
शर्मा दुष्ट एकने वाला.....  
एप्रिल २०१५

१८

मेरा अन्वय अन्सारी  
शर्मा दुष्ट  
एप्रिल २०१५



Uttar Pradesh

21AC 811453

-10-

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य—

अध्यक्ष / द्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ द्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

द्रस्ट के समर्त कार्या के लिए द्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। द्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :—

1. द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करनें हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. द्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. द्रस्ट के अन्तर्गत सचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विलङ्घ अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करनें हेतु कोष्ठो/विभाग केन्द्रो/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. द्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णयक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त हाने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को कर सकना।

(13) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सचिव की अनुपस्थिती में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राप्तिकृत करनें पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त हैं।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यमार/कर्तव्यों का पालन करना। कमशः.....11

बड़पो-द्रस्ट 17 (21)

मो० अनवर अमानी ने कर्म  
शिक्षकों द्वारा दूर  
उपलब्ध किया

इन वार्षिक  
तृष्णने द्वारा  
कर्म विभाग



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 811456

उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित बाबू मगवान् सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अ० न० के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्तीक्षण कर दिये गये।

टंकणकर्ता

अशोक कुमार यादव

अशोक कुमार यादव  
प्राप्त - वस्तुसंकेत  
प्राप्त - जलालुल्लाह  
प्राप्त - अरबाजनकर

साक्षीण :-

नाम : मुमुक्षुलाला लंबे तुम्हारे इराम

पता : निर्गोप्ता चापुटपुरुषपुर्वी जालायार्वरुणेन्द्र प्रताप सिंह

(संस्थापक / अध्यक्ष)

नाम : द्विजेन्द्र तुमारासिंह

बाबू मगवान् सिंह मेमोरियल ट्रस्ट  
तिघरा अ० न०

पता : डॉ राजेन्द्र तुमारासिंह

मसाविदाकर्ता

दिनांक :-

प्राप्त - १५.१२.१९७२

गो० अनवर अल्लामी पांडी  
शरीफुल्लाला तुम्हारे  
जलालुल्लाह

द्विज तुम्हारा  
द्विजे तुम्हारा  
द्विजेन्द्र तुम्हारा



21AC 811454

- 11 -

## (14) बैंक एकाउन्ट :—

1. द्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग द्रस्टी अन्तर्गत खाता खोला जा सकता है। अथवा संचालित किया जा सकता है।
2. द्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं द्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

## (15) विधिक कार्यवाही :—

- यदि संस्था/द्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है। या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

## (16) सम्पत्ति सम्बन्धी :—

1. द्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. द्रस्ट चल की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में द्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. द्रस्ट का अध्यक्ष द्रस्ट की और से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

कमशः ..... 12

वसुषोऽनु प्रताविद्यु

मो० लालबाबू

लालबाबू



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 811455

द्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्य-विकल्प कर सकता है। रेहन रख सकता है। किसाये पर दे सकता है। ले सकता है।

द्रस्ट किसी से छठण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, सृत चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।

द्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी बक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है। चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्यीमूत भाड़ा क्य अनुज्ञाप्ति बन्धक भारिती गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है।

(17) विशेष :-

(क) इस द्रस्ट को अन्तर्गत संचालित/फायरत किसी भी पिंडालय/महाविद्यालय/ कार्यक्रम/ईकाई/कार्यालय/संस्था उपकरण के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम दनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस ढीड ऑफ द्रस्ट नाबू भगवान सिंह मेमोरियल द्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख अध्यक्ष/द्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी /किसी भी परिस्थितियों में इस द्रस्ट ढीड के किसी / किसी भी प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अतिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नाबू भगवान सिंह मेमोरियल टस्ट की

कमशा ..... 13

वृ. ३०१०-५ फर १९८८

कृष्ण लाल  
कृष्ण लाल  
कृष्ण लाल

मो० जनरर अधिकारी  
शास्त्रीय दृष्टि दाता  
उ०

२



21AC 811459

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अम्बेडकर नगर

सदस्यगण की संख्या निम्न है—

क्र. सं.	नाम	पिता / पति	पता	पद
1.	प्रियमा सिंह	वरुणेन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा०— गोपरीचाँदपुर तिघरा ३०८०	उपाध्यक्ष
2.	अधिका कुमारी	स्व. अम्बिका प्रसाद सिंह	ग्रा.— गोपरीचाँदपुर तिघरा ३०८०	सचिव
3.	शशिकला देवी	संजय सिंह	ग्रा० व प००— टिकरा सीतापुर	उपसचिव
4.	कुमुम सिंह	अनिल कुमार सिंह	ग्रा० व प००— मोकलपुर जौनपुर	सदस्य
5.	शन्तनु कुमार सिंह	गोरखनाथ सिंह	ग्रा०— अटरिया प००— गोपालापुर जौनपुर	सदस्य
6.	अमिल कुमार	नन्हकू सिंह	ग्रा० व प००— मोकलपुर जौनपुर	सदस्य

ରଖିବୁ-ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା